



स्पीड पोस्ट

**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं० आर.के.टी./13/2017/एसटीजीसीजी/एसईओटीएच/आर.यू ।।। दिनांक: 08-02-2018

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,  
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,  
11 हेमंत बसु सरणी,  
कोलकाता-700 001

विषय: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया- देवपुरी ब्रांच द्वारा प्रताड़ित करने बाबत- श्री राधेलाल कोरम ठाकुर,  
क्वा. नं. डी- 36, रोहणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़) का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस के दिनांक 11/01/2018 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि प्रकरण पर दिनांक 09-02-2018 को 03.00 बजे निश्चित की गई सिटिंग (बैठक) को अब दिनांक **23-02-2018 को 02.00 बजे** रखा गया है।

आपसे अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज सहित उपरोक्त तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर. के. दुबे )  
सहायक निदेशक  
दूरभाष-24601346

प्रतिलिपि:

श्री राधेलाल कोरम ठाकुर,  
क्वा. नं. डी- 36, रोहणीपुरम,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)